पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

विविध न्यायिक क्षेत्र मामला संख्या 1279/2018

In

सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या **67/2017**

चंदन कुमार, पिता स्वर्गीय कपर चंद यादव, निवासी ग्राम- बैजनाथ पट्टी, पोस्ट- सिमराहा, थाना+जिला- सहरसा ।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य, मुख्य सचिव, बिहार, पटना, श्री अंजनी कुमार सिंह के द्वारा
2. प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास, बिहार पटना, श्री नवदेव शुक्ला।
3. आयुक्त, कोसी प्रभाग, सहरसा, श्री बिंदेश्वरी।
4. कलेक्टर, सहरसा श्री बिनोद सिंह गुजियाल।
5. उप विकास आयुक्त, डी.आर.डी.ए., सहरसा, श्री राजेश कुमार

.....प्रतिवादी

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता की ओर से : सुश्री मल्लिका मजूमदार, अधिवक्ता।

प्रतिवादी की ओर से : श्री दीपक सहाय जमुआर, एसी टू एएजी-4

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति ज्योति सरन

मौखिक निर्णय

दिनांक: 24-04-2019

सुश्री मल्लिका मजूमदार, याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित अधिवक्ता और श्री दीपक सहाय जमुआर, राज्य के लिए अपर महाधिवक्ता संख्या 4 के सहायक अधिवक्ता को सुना गया।

यह मामला जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा (जिसे आगे 'डीआरडीए' कहा गया है) के एक मृत कर्मचारी के आश्रित की अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित है।

इस न्यायालय ने इस न्यायालय के एक खंडपीठ द्वारा व्यक्त राय को ध्यान में रखते हुए, जो 2012 (1) पीएलजेआर 587 (बिमला तिवारी बनाम बिहार राज्य) में रिपोर्ट की गई थी, उप विकास आयुक्त, डीआरडीए, सहरसा को निर्देश दिया कि वह अनुकंपा नियुक्ति के दावे की जांच करें और स्थिति के अनुसार उचित आदेश पारित करें।

उप विकास आयुक्त, डीआरडीए, सहरसा ने दिनांक 27.02.2018 को आदेश पारित कर दावे का निपटारा किया है, जिसकी प्रति कारण-पृच्छा के अनुलग्नक 'ए' में है, और जिसमें इस न्यायालय के खंडपीठ द्वारा एलपीए संख्या 1199/2014 में व्यक्त राय को ध्यान में रखते हुए दावा सही नहीं पाया गया और इसे अस्वीकार कर दिया गया।

सुश्री मजूमदार, याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित अधिवक्ता ने सूचित किया कि इस न्यायालय द्वारा एलपीए संख्या 2082/2015 (बिहार राज्य बनाम अनिरुद्ध झा) में एक और निर्णय पारित किया गया है जो 'डीआरडीए' में नियुक्ति के ऐसे दावों को मान्यता देता है, लेकिन ये न्यायिक निर्णय के मुद्दे हैं और इन्हें अवमानना क्षेत्राधिकार में नहीं देखा जा सकता।

याचिकाकर्ता को उप विकास आयुक्त, सहरसा के दिनांक 27.02.2018 के आदेश को, जो अनुलग्नक 'ए' में है, उचित मंच पर उचित आवेदन दाखिल कर

चुनौती देने की स्वतंत्रता है, लेकिन चर्चा के अनुसार अवमानना का कोई मामला नहीं बनता है।

उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ, अवमानना आवेदन का निपटारा किया जाता है।

(ज्योति सरन, न्यायाधीश)

अंजुला/एसकेपाठक

एएफआर/एनएएफआर	एएफआर
सीएवी तिथि	एनए
डालने की तिथि	27.04.2019
प्रसारण तिथि	एनए

खण्डन(डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।